भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 5432

बुधवार, 05 अप्रैल, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्टार्टअप

5432. डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में कितने स्टार्ट-अप स्थापित किए गए हैं;

(ख) उक्त स्टार्ट-अपों की सफलता का प्रतिशत कितना है;

(ग) तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उत्तर-पूर्वी हिमालयी राज्यों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) तत्संबंधी परिणाम क्या हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क): सरकार ने नवप्रयोग, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने हेतु सुदृढ़ इकोसिस्टम का निर्माण करने तथा देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की।

सा.का.नि. अधिसूचना संख्या 127 (अ) दिनांक 19 फरवरी, 2019 में निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, कंपनियों को स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता दी जाती है। वर्ष 2016 में स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत से 28 फरवरी, 2023 तक डीपीआईआईटी ने 92,683 कंपनियों को स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या निम्नानुसार है:-

डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता प्राप्त कंपनियों की संख्या				
2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
8,635	11,279	14,498	20,046	26,542

(ख) और (ग): नियमित व्यवसायों को प्राय: संचालन के विशिष्ट वर्षों में सफलता या असफलता से मापा जाता है, जबकि स्टार्टअप्स और स्केल-अप्स (स्थापित स्टार्टअप्स) को किसी विशेष चरण में असफलता या सफलता द्वारा अधिक सटीक रूप से मापा जाता है, जिसके कारण सभी प्रकार के नए व्यवसायों और उनकी असफलता दर को दर्शाने वाली संख्या को सटीकता से दे पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए, सरकार द्वारा स्टार्टअप की सफलता अथवा असफलता से संबंधित सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

(घ) और (ङ): स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत 16 जनवरी, 2016 को हुई थी जिसका उद्देश्य देश में नवप्रयोग और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए सुदृढ़ इकोसिस्टम का निर्माण करना है जो सतत आर्थिक वृद्धि को प्रेरित करेगा तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों का सृजन करेगा। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, सरकार द्वारा देशभर में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए शुरु किए गए विभिन्न कार्यक्रमों का ब्यौरा **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

इस पहल को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदम विस्तृत हैं तथा सभी राज्यों, शहरों, नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किए गए हैं। इसके अलावा, सरकार ने विभिन्न पहलें शुरू की हैं, जिनमें विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में स्टार्टअप्स के विकास के लिए की गई पहलें भी शामिल हैं। इनमें से कुछ पहलों का ब्यौरा **अनुबंध-II** पर दिया गया है।

सरकार के सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप पूर्वोत्तर राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं) में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या वर्ष 2016 में 10 से बढ़कर वर्ष 2023 (28 फरवरी, 2023 की स्थिति के अनुसार) में 1,110 हो गई है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 05.04.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोग सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5432 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत कार्यान्वित कार्यक्रम

देश भर में स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है:

1. **स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना:** 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया के लिए एक कार्य योजना की शुरूआत की गई थी। कार्य योजना में "सरलीकरण और हैंडहोल्डिंग", "वित्त पोषण सहायता और प्रोत्साहन" और "उद्योग-शिक्षाविद साझेदारी और इंक्यूबेशन" जैसे क्षेत्रों में फैले 19 कार्य मदें शामिल हैं। इस कार्य योजना ने देश में एक गतिशील स्टार्टअप इकोसिस्टम के सृजन के लिए परिकल्पित सरकारी सहायता, स्कीमों और प्रोत्साहनों की नींव रखी है ।

2. **स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष (एफएफएस) स्कीम:** सरकार ने स्टार्टअप्स की निधियन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के कॉर्पस से एफएफएस स्थापित किया है। डीपीआईआईटी एफएफएस की मॉनीटरिंग एजेंसी है तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) इसकी प्रचालन एजेंसी है। 10,000 करोड़ रुपए के कुल कॉर्पस को स्कीम की प्रगति और निधि की उपलब्धता के आधार पर 14वें और 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। इसने न सिर्फ प्रारंभिक चरण में, प्रारंभिक चरण और विकास स्तर पर स्टार्टअप्स के लिए पूंजी उपलब्ध कराई है बलकि घरेलू पूंजी जुटाने की सुविधा के संदर्भ में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाकर विदेशी पूंजी पर निर्भरता को कम किया है और घरेलू रूप से विकसित और नये वेंचर कैपिटल फंड को बढ़ावा दिया है।

3. **स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएस):** सरकार ने, सेबी में पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधि के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और वेंचर डेबिट फंड्स (वीडीएफ़) द्वारा डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को दिए गए ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करने हेतु स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत की है। सीजीएसएस का उद्देश्य पात्र उधारकर्ताओं जैसे डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को वित्तपोषित करने के लिए सदस्य संस्थानों (एमआई) द्वारा एक निर्दिष्ट सीमा तक दिए गए ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करना है।

4. **विनियामक सुधार:** स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने, पूंजी जुटाने को आसान बनाने और अनुपालन बोझ को कम करने के लिए वर्ष 2016 से सरकार ने 50 से अधिक विनियामक सुधार किए हैं।

5. **अधिप्राप्ति को आसान बनाना:** अधिप्राप्ति को आसान बनाने के लिए, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे गुणवत्ता और तकनीकी विशिष्टताओं को पूरा करने वाले सभी स्टार्टअप्स के लिए सार्वजनिक अधिप्राप्ति में पूर्व कारोबार और पूर्व अनुभव की शर्तों में छूट प्रदान करें। इसके अलावा, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) स्टार्टअप रनवे विकसित किया गया है जो स्टार्टअप्स के लिए उत्पादों और सेवाओं को सरकार को सीधे बेचने के लिए एक समर्पित केन्द्र है।

6. **बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए सहायता:** स्टार्टअप पेटेंट आवेदनों की त्वरित जांच और निपटान के लिए पात्र हैं। सरकार ने स्टार्टअप्स बौद्धिक संपदा संरक्षण (एसआईपीपी) की शुरुआत की है जो स्टार्टअप्स को पंजीकृत सुविधा प्रदाताओं के जरिये उपयुक्त आईपी कार्यालयों में केवल सांविधिक शुल्क का भुगतान करके पेटेंट, डिजाइन तथा व्यापार चिह्न के लिए आवेदन फाइल करने की सुविधा प्रदान करता है। इस स्कीम के तहत सुविधा प्रदाता विभिन्न आईपीआर संबंधी सामान्य

सलाह तथा अन्य देशों में आईपीआर का संरक्षण एवं संवर्धन करने संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं। सरकार पेटेंट, व्यापार चिह्न अथवा डिजाइन के लिए सुविधा प्रदाताओं के पूरे शुल्क को वहन करती है, चाहे उनकी संख्या कितनी भी क्यों न हो तथा स्टार्टअप्स केवल देय सांविधिक शुल्क की लागत वहन करते हैं। स्टार्टअप्स को अन्य कंपनियों की तुलना में पेटेंट फाइल करने में 80 प्रतिशत की छूट तथा व्यापार चिह्न फाइल करने में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है।

7. **श्रम और पर्यावरण कानूनों के तहत स्व-प्रमाणन:** स्टार्टअप्स निगमन की तारीख से 3 से 5 वर्ष की अवधि के लिए, 9 श्रम और 3 पर्यावरण कानूनों के तहत उनके अनुपालन के स्व-प्रमाणित कर सकते हैं।

8. **3 वर्ष के लिए आयकर में छूट:**1 अप्रैल, 2016 को या उसके बाद निगमित स्टार्टअप्स आयकर छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को अंतर-मंत्रालयी बोर्ड का प्रमाण-पत्र प्राप्त है, उन्हें निगमन से लेकर 10 वर्ष की अवधि में से लगातार 3 वर्षों के लिए आयकर से छूट दी जाती है।

9. **भारतीय स्टार्टअप्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच**: स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत प्रमुख उद्देश्यों में से विभिन्न संलग्नता मॉडलों के जरिए भारतीय स्टार्टअप परिवेश को वैश्विक स्टार्टअप परिवेशों के साथ जुड़ने में मदद करना है। यह अंतर्राष्ट्रीय रूप से गवर्नमेंट टु गवर्नमेंट भागीदारी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भागीदारी तथा वैश्विक समारोहों के आयोजन के जरिए किया गया है। स्टार्टअप इंडिया ने 15 से अधिक देशों के साथ संपर्क स्थापित किया है, जो भागीदार राष्ट्रों के स्टार्टअप्स के लिए सुविधाजनक प्लेटफॉर्म और परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान करता है।

10. **स्टार्टअप के लिए त्वरित निकास** : सरकार ने स्टार्टअप्स को 'फास्ट ट्रैक फर्म' के रूप में अधिसूचित किया है, जिससे वे अन्य कंपनियों के लिए निर्धारित 180 दिनों की तुलना में 90 दिनों के भीतर प्रचालन का समापन करने में सक्षम होते हैं।

11. **स्टार्टअप इंडिया हब** : सरकार ने 19 जून 2017 को एक स्टार्टअप इंडिया ऑनलाइन हब का शुभारंभ किया है, जो भारत में उद्यमिता परिवेश के सभी हितधारकों के लिए अपनी तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ताकि वे एक-दूसरे से परिचित हो सकें, परस्पर जुड़ सकें और मिलकर कार्य कर सकें। ऑनलाइन हब, स्टार्टअप्स, निवेशकों, फंड्स, मेंटर्स, शैक्षणिक संस्थानों, इंक्यूबेटर्स, कार्पोरेट, सरकारी निकायों और अन्य को होस्ट करता है।

12. **अधिनियम की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (vii) (ख) के प्रयोजन के लिए छूट (2019):** डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप आयकर अधिनियम की धारा 56(2)(vii)(ख) के प्रावधानों से छूट के पात्र हैं।

13. **स्टार्टअप इंडिया शोकेस** : स्टार्टअप इंडिया शोकेस वर्चुअल प्रोफाइल के रूप में प्रदर्शित विभिन्न डीपीआईआईटी और स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रमों के माध्यम से चुने गए देश के सर्वाधिक संभावना वाले स्टार्टअप्स के लिए एक ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर दर्शाए गए स्टार्टअप, अपने क्षेत्र में सर्वोत्तम स्टार्टअप के रूप में उभरे हैं। ये नवप्रयोग अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ फिनटेक, एंटरप्राइजटेक, सामाजिक प्रभाव, हेल्थटेक, एडटेक जैसे विभिन्न अत्याधुनिक क्षेत्रों से हैं। इन स्टार्टअप्स ने कठिन समस्याओं का समाधान किया है और अपने संबंधित क्षेत्र में उत्कृष्ट नवप्रयोग दर्शाया है। इस तंत्र से संबंधित हितधारकों ने इसे पोषित किया है और इसे सहायता प्रदान की है और इस प्रकार इस प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति का औचित्य सिद्ध किया है।

14. **राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद :** सरकार ने देश में नवप्रयोग और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक सशक्त परिवेश के निर्माण हेतु आवश्यक उपायों पर सरकार को सलाह देने के लिए जनवरी, 2020 में राष्ट्रीय स्टार्टअप परिषद को अधिसूचित किया ताकि सतत आर्थिक विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार अवसरों का सृजन किया जा सके। पदेन सदस्यों के अतिरिक्त इस परिषद में कई गैर-सरकारी सदस्य हैं, जो स्टार्टअप परिवेश के विभिन्न हितधारकों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

15. **स्टार्टअप इंडिया- आगे की राह:** स्टार्टअप इंडिया के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में समारोह में स्टार्टअप इंडिया- आगे की राह समारोह का शुभारंभ 16 जनवरी, 2021 को किया गया। इसके दायरे में स्टार्टअप्स के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रोत्साहन के लिए कार्रवाई योग्य योजना, विभिन्न सुधारों को लागू करने में प्रौद्योगिकी की बड़ी भूमिका, हितधारकों की क्षमता निर्माण और डिजिटल आत्मनिर्भर भारत को सक्षम बनाना शामिल है।

16. **स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) :** किसी उद्यम के विकास के आरंभिक स्तरों पर उद्यमों के लिए पूंजी की आसान उपलब्धता अनिवार्य है। इस स्तर पर अपेक्षित पूंजी, बेहतर व्यवसाय आइडिया वाले स्टार्टअप्स के लिए टिके रहने या समाप्त होने की स्थिति उत्पन्न कर देती है। इस स्कीम का उद्देश्य, संकल्पना के साक्ष्य, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार प्रवेश और वाणिज्यीकरण के लिए स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। वर्ष 2021-22 से आरंभ करके 4 वर्षों की अवधि के लिए एसआईएसएफएस स्कीम के अतंर्गत 945 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए हैं।

17. **राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार (एनएसए) :** राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार ऐसे उत्कृष्ट स्टार्टअप्स और इकोसिस्टम इनेब्लर्स की पहचान करने और पुरस्कृत करने की एक पहल है, जो अभिनव उत्पादों या समाधानों और विकासयोग्य उद्यमों का निर्माण कर रहे हैं, जिनमें रोजगार सृजन या संपतति सृजन की अत्यधिक क्षमता है और जो माप-योग्य सामाजिक प्रभाव दर्शा रहे हैं। सभी अंतिम प्रतिभागियों को विभिन्न मामलों यथा निवेशक कनेक्ट, मेंटरशिप, कार्पोरेट कनेक्ट, गवर्नमेंट कनेक्ट, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पहुंच, विनियामक सहायता, दूरदर्शन पर स्टार्टअप इंडिया चैंपियन और स्टार्टअप इंडिया शोकेस के संबंध में सहायता प्रदान की जाती है।

18. **राज्य स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क (एसआरएफ) :** यह प्रतिस्पर्धी संघवाद की ताकत का दोहन करने और देश में एक समृद्ध स्टार्टअप परिवेश बनाने के लिए राज्य स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क अपनी तरह की पहली पहल है। रैंकिंग कार्य का प्रमुख उद्देश्य बेहतर कार्य-पद्धतियों की पहचान करने, सीखने और दोहराने के लिए राज्यों को सुविधा प्रदान करना, स्टार्टअप परिवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्यों द्वारा नीतिगत कार्यकलाप को उजागर करना और सर्वोत्तम स्टार्टअप परिवेश तैयार करने के लिए राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है।

19. **दूरदर्शन पर स्टार्टअप चैंपियन:** पुरस्कार विजेता/राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की कहानियों को कवर करते हुए दूरदर्शन पर एक घंटे का साप्ताहिक कार्यक्रम नामतः स्टार्टअप चैम्पियन कार्यक्रम शुरू किया गया। इसे दूरदर्शन के सभी नेटवर्क चैनलों पर हिन्दी और अंग्रेजी में प्रसारित किया जाता है।

20. **स्टार्टअप इंडिया नवप्रयोग सप्ताह:** सरकार राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस अर्थात 16 जनवरी के आस-पास स्टार्टअप इंडिया नवप्रयोग सप्ताह का आयोजन करती है, जिसका मुख्य लक्ष्य देश के प्रमुख स्टार्टअप्स, उद्यमियों, निवेशकों, इन्क्यूबेटर्स, निधियन इकाइयों, बैंकों, नीति निर्माता और अन्य राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों को उद्यमियता और नवप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इस समारोह में एक साथ लाना है।

*****

अनुबंध-II

दिनांक 05.04.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोग सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5432 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

सरकार द्वारा विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों के स्टार्टअप्स के विकास के लिए किए गए विभिन्न उपायों की सूची:

1. **<u>एसेंड स्टार्टअप कार्यशाला शृंखला और स्टार्टअप्स कार्यशालाओं हेतु महिलाएं:</u>** विभाग ने उद्यमियों, महत्वाकांक्षी उद्यमियों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्रों के लिए स्टार्टअप कार्यशालाओं की एक श्रृंखला - एसेंड (स्टार्टअप क्षमता और उद्यमशीलता अभियान में तेजी लाना) का आयोजन किया। इसके अलावा, कार्यशालाओं का आयोजन पूर्वोत्तर राज्यों में महिला उद्यमियों पर विशेष ध्यान देते हुए किया जा रहा है। ये कार्यशालाएं नवंबर 2022 और दिसंबर 2022 के दौरान मणिपुर, असम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में आयोजित की गई थीं। इन कार्यशालाओं में 11,000 से अधिक इकोसिस्टम स्टेकहोल्डर्स, जैसे सरकारी अधिकारी, स्टार्टअप्स, उभरते हुए उद्यमी, निवेशक, शिक्षण संस्थाएं आदि ने भाग लिया।

2. **<u>पूर्वोत्तर क्षेत्र उद्यमिता और स्टार्टअप सम्मेलन (एनईआरईएस):</u>** कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने उद्यमिता और स्टार्टअप सम्मेलन 'एनईआरईएस' का आयोजन किया जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में क्षमता वाले स्टार्टअप्स और उभरते हुए उद्यमियों को मंच प्रदान करना है। एनईआरईएस का उद्देश्य एनईआर राज्यों में उद्यमिता संबंधी विचारों को बढ़ावा देना था तथा यह स्टार्टअप उद्यमियों को अपने व्यावसायिक आइडियाज प्रस्तुत करने के लिए मंच प्रदान करके बढ़ावा देता है और स्टार्टअप्स द्वारा सामना की जा रही विभिन्न चुनौतियों को दूर करता है। यह कार्यक्रम उभरते हुए और मौजूदा उद्यमियों/स्टार्टअप्स के लिए मंच उपलब्ध कराता है ताकि वे भागीदारी कर सकें तथा अपने व्यावसायिक आइडियाज और योजना दर्शा सकें। यह उन्हें बेहतर पद्धतियों के बारे में अधिक सीखने तथा साथी स्टार्टअप्स के साथ संपर्क स्थापित करने में भी मदद करता है। इस कार्यक्रम ने मार्गदर्शकों और ऐसे इकोसिस्टम से सहायता प्राप्त करने के लिए स्टार्टअप्स और उद्यमियों का मार्ग प्रशस्त किया है जो उनके व्यवसाय की वृद्धि में सहायता करते हैं।

3. **नॉलेज एक्सचेंज कार्यशालाएं:** राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच बेहतर पद्धतियों और परस्पर विद्वत्ता के प्रचार-प्रचार के लिए डीपीआईआईटी ने नॉलेज एक्सचेंज कार्यशालाएं आयोजित की।

   i. वर्ष 2018 में, देश के अग्रणी इन्क्यूबेटर्स में दो दिवसीय नॉलेज एक्सचेंज कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इन कार्यशालाओं ने भागीदार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक-दूसरे के साथ संपर्क करने, सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों को साझा करने, अग्रणी स्टार्टअप्स, निवेशकों और इन्क्यूबेटर्स के साथ संपर्क करने का मौका दिया। असम, त्रिपुरा, मणिपुर, तथा मेघालय राज्य सरकार के अधिकारियों ने हैदराबाद (तेलंगाना) में आयोजित कार्यशाला में भाग लिया और नागालैंड व सिक्किम राज्य सरकार के अधि कारियों ने विशाखापटनम (आंध्र प्रदेश) में आयोजित कार्यशाला में भाग लिया।

   ii. वर्ष 2019, मिजोरम राज्य सरकार के अधिकारियों ने महाराष्ट्र में आयोजित कार्यशाला में भाग लिया। असम, अरुणाचल प्रदेश, और नागालैंड राज्य सरकार के अधिकारियों ने केरल में आयोजित कार्यशाला में भाग लिया।

iii. इंटरनेशनल एक्सपोजर विजिट (2019): राज्यों को इन अंतर्राष्ट्रीय इकोसिस्टम की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों को समझने और उनका प्रचार-प्रसार करने में सक्षम बनाने तथा इन पद्धतियों को अपने संबंधित इकोसिस्टम में कार्यान्वित करने में सहायता करने के उद्देश्य सितंबर-अक्टूबर 2019 को दो स्थानों- सैन फ्रांसिस्को, केलिफोर्निया तथा सिएटल, वॉशिंगटन में दौरे आयोजित किए गए । असम से आए अधिकारी इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे।

iv. वर्ष 2020 में, नॉलेज एक्सचेंज वीक 2021 के भाग के रूप में जून, 2021 में 5 दिवसीय वर्चुअल क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला में पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 130 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया।

v. राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 संबंधी कार्यों के लिए, सरकार ने नवंबर 2022 में मेघालय (शिलॉन्ग) में नॉलेज एक्सचेंज कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें राज्य सरकारों और स्टार्टअप इकोसिस्टम स्टेकहोल्डर्स के प्रबुद्ध वक्ताओं द्वारा सत्रों को संबोधित किया गया तथा इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देशभर के सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया।

4. **स्टार्टअप इंडिया यात्रा पहल:** राज्य के ग्रामीण और गैर-महानगरीय क्षेत्रों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया ने वर्ष 2017 में स्टार्टअप इंडिया यात्रा की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के तहत, मूलभूत स्तर पर स्टार्टअप्स शुरु करने के इच्छुक व्यक्तियों को इन्क्यूबेशन, मागदर्शन और निधीयन सहायता उपलब्ध कराई गई थी। इस कार्यक्रम के भाग के रूप में, राज्य के टियर-2 और टियर-3 जिलों में बूटकैंप आयोजित किए गए थे, जहां भागीदारों ने विचार कार्यशालाओं में भाग लिया तथा अपने आइडिया साझा किए।

इस पहल के भाग के रूप में, मणिपुर, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में बूटकैंप आयोजित किए गए थे। स्टार्टअप यात्रा के तहत इन 7 राज्यों के 44 जिलों से 6600 से अधिक व्यक्तियों तक संपर्क स्थापित किया गया। 20.1 लाख रुपए की निधीयन सहायता के साथ 179 इन्क्यूबेशन प्रस्तावों का विस्तार किया गया।

5. **विंग:** डीपीआईआईटी के विंग कार्यक्रम के भाग के रूप में, मौजूदा और महत्वाकांक्षी महिला उद्यमियों के लिए गुवाहाटी, असम में क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 45 प्रतिभागियों ने भाग लिया तथा कोहिमा, नागालैंड में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें दो समानांतर कार्यशालाओं में 114 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों के लिए निम्नलिखित विषयों पर मार्गदर्शन सत्रों का आयोजन किया गया:

i. उद्यम विचार और व्यावसायिक मॉडल का वैधीकरण
ii. शासन: कानूनी/अनुपालन
iii. विपणन/ब्रांडिंग: अंतर पैदा करना
iv. वित्त और वित्तीय निर्णय
v. उपभोक्ता प्राप्ति रणनीति और वृद्धि में महारत हासिल करना

6. **आजादी का अमृत महोत्सव (मेघालय और असम में स्टार्टअप जागरूकता प्रशिक्षण):**

i. **मेघालय:** भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, केंद्र सरकार और मेघालय की राज्य सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया तथा 25 सितंबर, 2021 को शिलॉन्ग में एक साथ मिलकर प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया। यह सत्र विशेष रूप से मेघालय के उद्यमियों को समर्पित था। राज्य के कुछ सफल उद्यमियों ने अपनी सफलता की कहानियां साझा की, अपनी यात्रा, चुनौतियों तथा उनके उबरने के बारे में बताया।

ii. **असम:** केंद्र सरकार ने असम की राज्य सरकार के साथ भागीदारी करके 22 सितंबर 2021 को गुवाहाटी में वाणिज्य उत्सव समारोह में भाग लिया। स्टार्टअप इंडिया ने 'स्टार्टअप्स के लिए स्कीमें और लाभ' प्रस्तुत किए तथा असम स्टार्टअप द्वारा चुने गए स्टार्टअप्स के भावी समूह 3.0 के लिए आयोजित स्टार्टअप बूटकैंप में हिस्सा लिया। स्टार्टअप बूटकैंप 23 सितंबर 2021 को असम स्टार्टअप नेस्ट में आयोजित किया गया था। दोनों कार्यक्रमों में लगभग 30 स्टार्टअप्स और असम राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों के 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये सत्र स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में स्टार्टअप्स और उपस्थित प्रतिनिधियों को जागरूक बनाने में मददगार साबित हुए।

7. **इन्क्यूबेटर क्षमता निर्माण कार्यक्रम (मिजोरम):** क्षमता निर्माण कार्यक्रम के भाग के रूप में, केंद्र सरकार ने मिजोरम की राज्य सरकार के साथ मिलकर 22 अक्टूबर, 2021 को मिजोरम के इन्क्यूबेटर्स के साथ परामर्श सत्र का आयोजन किया।

*****